न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर और राजबीर सहरावत के समक्ष.

नवीन दहिया-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

एल. पी. ए. संख्या 169 / 2018

02 फरवरी, 2018

लेटर पेटेंट-खंड X-औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, क्षेत्रीय कार्यालय (समूह 'सी'), सेवा नियम, 2013-नियम 9 (3), 19-अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षकों के रूप में चयन के लिए विज्ञापन और मानदंड-प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानदंड के अनुसार चयन के लिए प्रार्थना-कानून का कोई बल नहीं होने से इनकार-आयोजित, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, चयन एजेंसी को मानदंड अपनाने का अधिकार है यदि यह तर्कसंगत, गैर-मनमाना और समान है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक मानदंडों को चुनौती देने का संबंध है, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की निर्भरता रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रों पर; विशेष संख्या में वर्षों के अनुभव की आवश्यकता के संबंध में और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक अन्य पत्र, चयन के मानदंडों को रेखांकित करते हुए, पूरी तरह से गलत है।भारत सरकार के महानिदेशक द्वारा सुझाए गए मानदंड स्वयं कहते हैं कि यह अनुरोध की प्रकृति में एक दिशानिर्देश के रूप में पालन किया जाना है।यह कानून का बल रखने वाला वैधानिक निर्देश नहीं है; प्रशिक्षक के पद के लिए चयन करने में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि जब तक नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा स्वयं निर्धारित नहीं किया जाता है; चयन एजेंसी को एक मानदंड अपनाने का पूरा अधिकार है जो उसके द्वारा उचित समझा जाता है, बशर्ते मानदंड तर्कसंगत, गैर-मनमाना हो और सभी पर समान रूप से लागू होने के लिए हो।

(पैरा 12)

हरियाणा, क्षेत्रीय कार्यालय (समूह 'सी'), सेवा नियम, 2013-नियम 9 (3), 19-आरक्षण-संविदात्मक नियुक्तियों में लागू।

तथापि, यह अभिनिर्धारित किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणी कि के लिए विज्ञापन में कोई क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

संविदात्मक रोजगार; टिकाऊ नहीं है।चूँकि संविदात्मक रोजगार भी एक सार्वजनिक रोजगार है और यह निश्चित रूप से लागू सेवा नियमों के अनुसार किया जा रहा है, इसलिए संविदात्मक रोजगार के मामले में भी आरक्षण लागू करने की आवश्यकता होगी।

(पैरा 14)

अंतरिम आदेश-अंतिम निर्णय के चरण में अवलोकन/निर्देश अप्रासंगिक।

अभिनिर्धारित किया कि मामले के अंतिम निर्णय के स्तर पर, अंतरिम आदेश पारित करने के समय जारी किए गए अवलोकन या निर्देश भी पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं।

(पैरा 16)

भूपिंदर मलिक, अधिवक्ता

अपीलकर्ता के लिए।

गिरीश अग्निहोत्री वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ भुवन वत्स और मनोज कक्कड़ अधिवक्ता, प्रतिवादी.

राजबीर सहरावत, जे. (मौखिक)

(1) वर्तमान अपील विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित दिनांक 17.01.2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है; जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका; दिनांक 25.04.2016 के विज्ञापन को विज्ञापित पदों को नियंत्रित करने वाले नियमों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई , चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को चुनौती दी गई और आगे प्रार्थना कि गई की विचाराधीन प्रशिक्षकों के चयन के लिए, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को लागू किया जाए; खारिज कर दिया गया था।

(2) संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नं. 3, महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा ने अनुबंध के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्रशिक्षकों के 1019 पदों के चयन के लिए रिट याचिका में आक्षेपित विज्ञापन दिनांक 25.04.2016 जारी किया।इस विज्ञापन में पदों के विवरण के साथ-साथ पदों से संबंधित आरक्षण का वर्णन किया गया था।अपीलकर्ता ने सामान्य श्रेणी के तहत बिजली इलेक्ट्रीशन ट्रेड में प्रशिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था।प्रतिवादी ने प्रश्नगत चयन के लिए आवेदन करने के लिए मानदंड भी जारी किए थे, जिसे 30.03.2016 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपनाया गया था।जब अपीलकर्ता को मानदंडों के बारे में पता चला; उसने नवीन दिवस बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के खिलाफ प्रतिवादी को दिनांकित 15.09.2016 का अभ्यावेदन दिया।

मानदंड।हालांकि, प्रतिवादी-विभाग ने 26.09.2016 पर अस्थायी योग्यता सूची जारी की।इसने अपीलकर्ता को रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है, जिसमें अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने चयन के साथ-साथ विज्ञापन के लिए अपनाए गए मानदंडों को चुनौती दी थी।

(3) रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने विज्ञापन पर औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, क्षेत्रीय कार्यालय (समूह 'सी'), सेवा नियम, 2013 के नियम 9 (3) के उल्लंघन के आधार पर सवाल उठाया था; आरोप लगाया था कि नियम के अनुसार, 50 प्रतिशत पदों को राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों द्वारा शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ या उसके बिना भरा जाना है, जबकि प्रतिवादी केवल डिग्री धारकों से पदों को भर रहे हैं।नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाला एक अन्य आधार यह था कि उपरोक्त नियमों के नियम 19 के तहत विचार किए गए आरक्षण का विज्ञापन में प्रावधान नहीं किया गया है।विज्ञापन के लिए एक और चुनौती इस आधार पर थी कि रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने आई. टी. आई. में प्रशिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित की है; जिसमें अनुभव की निर्दिष्ट आवश्यकता निर्धारित की गई है और विवादित विज्ञापन में भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुभव की तुलना में अलग आवश्यकता निर्धारित की गई है।

(4) याचिकाकर्ता ने चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 07.01.2016 को एक मापदंड जारी किया है जिसमें तकनीकी योग्यता यानी डिग्री/डिप्लोमा या सी. टी. एस. के लिए 60 प्रतिशत वेटेज और सी. आई. टी. एस. योग्यता में अंकों के लिए 30 प्रतिशत वेटेज प्रदान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी. आई. टी. एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत हैं।यह दावा किया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए मानदंड प्रशिक्षण महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।मानदंड के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि मैट्रिक और 10+2 योग्यता में प्राप्त उम्मीदवारों के अंकों को अत्यधिक महत्व दिया गया है; जिसके परिणामस्वरूप प्रासंगिक तकनीकी योग्यता के लिए कम महत्व है।आरक्षण के संबंध में, याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि प्रतिवादी ने केवल व्यक्तिगत व्यापार की ताकत को ध्यान में रखते हुए आरक्षण दिया है, न कि प्रशिक्षकों के विज्ञापित पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए।

(5) इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि आरक्षण किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ता कबड्डी का एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है;

एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी का प्रमाण पत्र जारी किया।यह भी दावा किया गया कि विवादित विज्ञापन केवल एससी और बीसी श्रेणी में विज्ञापित पदों में खिलाड़ी की श्रेणी के लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है।सामान्य श्रेणी में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।अतः याचिकाकर्ता के दावों पर प्रतिकूल परभाव पड़ता है याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि परतीवादियों के ज्ञान की इन सभी कमियों को लाते हुए उन्होंने महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा को अभ्यावेदन दिया था।याचिकाकर्ता को बाद में आश्वासन दिया कि गलती को सुधार लिया जाएगा।हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा कुछ नहीं किया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

(6) नोटिस अन्य बातों के साथ साथ रखे जाने पर, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने लिखित बयान दायर किया था, जिसअन्य बातों के साथ साथ कहा गया था कि विभाग बड़ी संख्या अन्य बातों के साथ साथ खाली पड़े पदों पर नियमित नियुक्ति करने के लिए बार-बार प्रयास कर रहा है, हालांकि, किसी न किसी कारण से और कुछ मुकदमेबाजी के कारन नियमित भर्ती समय पर पूरी नहीं की जा सकी।इसलिए विभाग ने अनुबंध के आधार पर पदों को भरने का सहारा लिया था।यह भी कहा गया कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए पत्र केवल सलाहकारी प्रकृति के हैं और अनिवार्य नहीं हैं।भारत सरकार ने स्वयं सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा सुझाए गए मानदंडों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की मौजूदा स्थिति के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।यह दावा किया गया था कि इन पदों के लिए प्रदान किए गए सेवा नियमों के अनुसार पदों का विज्ञापन सख्ती से किया गया है।चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को केवल उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर और साक्षात्कार के लिए अंकों को पूरी तरह से समाप्त करके पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है।और भी आगे, यह अनुरोध किया गया था कि इसी तरह की रिट बेनाम सिंह पाराशर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के रूप में शीर्षक वाली 2016 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2019 याचिका, उसी को चुनौती देती है। विज्ञापन और वही मानदंड न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.11.2016 आदेश के तहत खारिज कर दी गई।लिखित बयान के साथ आदेश की एक प्रति भी संलग्न की गई थी।आरक्षण के मुद्दे पर, प्रतिवादी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि आरक्षण समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई नीति दिनांक 16.02.2023 के अनुसार सख्ती से प्रदान किया गया है।इसके अलावा, यह बताया गया कि नीति के अनुसार, विभाग द्वारा रोस्टर रजिस्टर और रोस्टर बिन्दु बनाए रखे जा रहे हैं।विज्ञापन में दिया गया आरक्षण सख्ती से विभाग के रोस्टर रजिस्टर में अंकित गए रोस्टर बिन्दुओ के अनुसार है। जहां कहीं भी/

एक विशेष आरक्षित श्रेणी के लिए पद रोस्टर के अनुसार उपलब्ध है; जिसे संविदात्मक नियुक्ति के लिए भी सम्बन्दित श्रेणी के लिए आरक्षित दिखाया गया है।यह अनुमान लगाया गया था कि रोस्टर रजिस्टर के अनुसार; इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अनुसूचित जाति श्रेणी में खिलाड़ियों के लिए एक पद आरक्षित था।इसी तरह, बी. सी. श्रेणी में खिलाड़ियों के लिए एक पद था।विज्ञापन में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है।रोस्टर के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कोई आरक्षित पद उपलब्ध नहीं था।इसलिए, वर्तमान विज्ञापन में खिलाड़ियों के लिए सामान्य श्रेणी में कोई पद प्रदान नहीं किया गया है।यह अनुरोध किया गया कि रोस्टर रजिस्टर के अनुसार, सामान्य श्रेणी में इलेक्ट्रीशन ट्रेड में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पद क्रम संख्या 91 पर है, जबकि वर्तमान विज्ञापन में केवल क्रम संख्या 84 तक के पद भरे जा रहे हैं।इसलिए, यह दावा किया गया कि किसी भी नियम या राज्य सरकार के किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया था।एक और तथ्य जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि बाद में, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने 21.04.2017 को इस आशय का एक विशिष्ट शपथ पत्र दायर किया था कि इस पद के लिए विज्ञापन, विचाराधीन, विभाग भर्ती सेवा नियमों के अनुसार था और आगे यह कि व्यक्तियों को केवल शिक्षक छात्र अनुपात को पूरा करने के लिए संविदात्मक पद पर प्रशिक्षक के रूप में काम पर रखा जा रहा है; ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

(7) हालाँकि, सुनवाई के दौरान, प्रारंभिक चरण में, विद्वान एकल पीठ ने आदेश दिया था कि किया गया चयन रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा, हालाँकि, बाद में, विवादित विज्ञापन के अनुसार भर्ती पर पीठ द्वारा रोक लगा दी गई थी।प्रतिवादी द्वारा स्थगन की छुट्टी के लिए दायर एक आवेदन पर, पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी बिना किसी प्रतिबंध के नियमित आधार पर पद की भर्ती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अनुबंध के आधार पर विवादित विज्ञापन के अनुसार भर्ती रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी।चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, प्रतिवादी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्रों के लिए शिक्षकों की कमी थी, अंतरिम आदेश को समाप्त करने और अनुबंध के आधार पर चुने गए व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति के लिए फिर से पीठ से संपर्क किया।तदनुसार, विद्वत एकल पीठ ने सुनवाई की तारीख को पहले ही तय कर दिया और उसके बाद, वर्तमान अपील में विवादित आदेश पारित कर दिया, जिसके तहत रिट याचिका को ही खारिज करने का आदेश दिया गया था।

(8) रिट याचिका को खारिज करते हुए विद्वान एकल पीठ ने कहा कि इसी तरह की रिट याचिका, 2016 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2019 शीर्षक बेनाम सिंह पाराशर और अन्य बनाम भारत संघ और

समान मानदंडों को चुनौती देने वाले अन्य लोगों को उसी न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को भी खारिज करने योग्य माना गया था।इसके अतिरिक्त, विद्वान एकल पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि शिक्षकों की भारी कमी थी, इसलिए मामले को लंबित रखने से छात्रों की पढ़ाई को नुकसान नहीं होने दिया जा सकता है।वर्तमान मामले के विशेष तथ्यों पर विचार करते हुए विद्वान एकल पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने चयन की प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए असफल रहने के बाद उन्हें चयन को चुनौती देने से हटा दिया गया था।इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि चयन को अंतिम रूप देने से पहले रिट याचिका दायर की गई थी, स्वीकार कर लिया जाता है, तो रिट याचिका समय से पहले होगी और उनके द्वारा पारित निर्णय को देखते हुए खारिज की जा सकती है। बेनाम सिंह पाराशर(सुपरा) के मामले में यह न्यायलय खिलाड़ी वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में निर्देशों के उल्लंघन की याचिका पर विद्वान एकल पीठ ने कहा कि खिलाड़ी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग के संबंध में रिट याचिका के प्रार्थना पीठ में कोई अनुरोध नहीं था।इसके अलावा, यह माना गया कि, किसी भी मामले में, आरक्षण बनाने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है जहां विज्ञापन में कोई प्रावधान नहीं है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य की आरक्षण नीति भी चुनौती के दायरे में नहीं थी; और यह भी कि अनुबंधित रोजगार के लिए विज्ञापन में क्षैतिज आरक्षण लागू करने की आवश्यकता नहीं है; जो कि नियमित भर्ती के लिए लंबित है।यह भी कहा गया कि जहां तक मानदंड और क्षैतिज आरक्षण का संबंध है, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, क्षेत्रीय कार्यालय (समूह 'सी'), सेवा नियम, 2013 का कोई उल्लंघन नहीं दिखाया गया है।तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

(9) विद्वत एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वत एकल पीठ ने याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय पूर्ववर्ती पीठों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में नहीं रखते हुए कानूनी रूप से गलत किया है।यह आगे तर्क दिया गया कि बेनाम सिंह पाराशर के मामले (उपरोक्त) के मामले में पहले की रिट याचिका को खारिज करने पर भरोसा करके विवादित निर्णय गलत तरीके से पारित किया गया है क्योंकि उस मामले में केवल मानदंडों को चुनौती दी गई थी, जबकि वर्तमान रिट याचिका में विज्ञापन भी चुनौती के तहत है; पदों के आरक्षण को चुनौती देने के अलावा नियमों का उल्लंघन है।विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विवादित फैसले में टिप्पणियाँ कि याचिकाकर्ता को अनुबंध के आधार पर की गई भर्ती पर सवाल उठाने का कोई अधिस्थिति नहीं है, विशेष रूप से उसमें भाग लेने के बाद, टिकाऊ नहीं हैं क्योंकि रिट याचिका योग्यता सूची की घोषणा से पहले दायर की गई थी।विद्वान वकील ने आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए

प्रस्तुत किया है कि विवादित निर्णय गलत तरीके से दर्ज करता है कि याचिका के प्रार्थना खंड में आरक्षण के संबंध में कोई प्रार्थना नहीं है क्योंकि यह विशेष रूप से प्रार्थना खंड में प्रार्थना की गई है कि विज्ञापन ऊपर उल्लिखित सेवा नियमों के नियम 19 का उल्लंघन था जो राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण का

प्रावधान करता है और आगे यह कि रिट याचिका में विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण प्रदान करके पदों का पुनः विज्ञापन किया जाए।यह उनका आगे का तर्क है कि पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है जहां विज्ञापन में कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है और आगे यह कि संविदात्मक रोजगार के लिए विज्ञापन में क्षैतिज आरक्षण लागू करने की आवश्यकता नहीं है, कानून में टिकाऊ नहीं हैं।अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निर्णय कानूनी रूप से गलत हो गया है जहां तक यह दर्ज किया गया है कि जहां तक मानदंड और आरक्षण का संबंध है, नियमों का कोई उल्लंघन नहीं दिखाया गया है।उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिका में विशिष्ट अभिवचन हैं; जिसमें कहा गया है कि नियमों के तहत आवश्यक अनुभव की आवश्यकता का प्रतिवादी द्वारा पालन नहीं किया गया है और आगे यह कि ऊपर उल्लिखित सेवा नियमों के नियम 19 के अनुसार आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

(10) मामले के उचित मूल्यांकन के लिए, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए प्रासंगिक सेवा नियमों का संदर्भ होना उचित है।इन्हें यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> " नियम 9 (3):- इस सीधी भर्ती के मामले में प्रशिक्षक, शिल्प प्रशिक्षक, शिल्प प्रशिक्षक (सी. ओ. ई.), शिल्प प्रशिक्षक (महिला) इन्हे इस तरह से बनाया जायेगा की जिन पदों के लिए आवश्यक योग्तया डिप्लोमा या /डिग्री निर्धारित की गई हैं उनके लिए डिप्लोमा/ डिग्री योग्तया रखने वाले नियुक्त व्यक्तियों में से 50% तक के उपलबधता बनी रहे समबन्दित ट्रेड में डिग्री या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट / नेशनल ऍप्रेंटेसिप सर्टिफिकेट साथ/उसके बिना क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रैंगिंग कोर्स के पद के लिए, के रूप में निर्धारित की गई है।"
>
> आरक्षणः नियम 19.इन नियमों में निहित कुछ भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या किसी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगाः
>
> बशर्ते कि इस प्रकार किए गए आरक्षण का कुल प्रतिशत किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

(11) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और उसकी समर्थ सहायता के साथ अभिलेख का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें कायम रखने के योग्य नहीं हैं।हालांकि कुछ बिंदुओं पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विद्वान एकल पीठ द्वारा अपनाया गया तर्क सख्ती से टिकाऊ नहीं हो सकता है, हालांकि, रिट याचिका को खारिज करने के लिए विद्वान एकल पीठ द्वारा प्राप्त अंतिम निष्कर्ष को बनाए रखा जाना चाहिए।जबकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क देना सही हो सकता है कि पिछले मामले में दिया गया निर्णय उस पर सख्ती से बाध्यकारी नहीं है क्योंकि वह उस रिट याचिका का पक्षकार नहीं है, हालाँकि, विज्ञापन की वैधता और उसी चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों पर निर्णय होना

चयन की उसी प्रक्रिया के संबंध में बाध्यकारी होगा; जब तक कि याचिकाकर्ता कुछ बहुत अलग तथ्य और कानूनी तर्क दिखाने में समर्थ न हो; उसी पीठ द्वारा तय की गई पिछली रिट याचिका में दिए गए निर्णय को कमजोर करना।हालाँकि, इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कुछ भी ठोस नहीं बताया गया है।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जा रहा था, लागू सेवा नियमों का उल्लंघन करके और उनका पालन नहीं करके भरा जा रहा था, इस तथ्य से नकार दिया जाता है कि विभाग के सचिव ने एक विशिष्ट शपथ पत्र दायर किया था कि विचाराधीन प्रक्रिया लागू सेवा नियमों के अनुसार सख्ती से की जा रही थी।याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा था कि विभाग के सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण था।इसलिए, विज्ञापन के सेवा नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से ख़ारिज क्र दिया है।

(12) जहां तक मानदंडों की चुनौती का संबंध है, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की निर्भरता रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रों पर; विशेष वर्षों के अनुभव की आवश्यकता के बारे में और प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक अन्य पत्र, चयन के मानदंडों को रेखांकित करते हुए, पूरी तरह से गलत है।भारत सरकार के महानिदेशक द्वारा सुझाए गए मानदंड स्वयं कहते हैं कि यह अनुरोध की प्रकृति में एक दिशानिर्देश के रूप में पालन किया जाना है।यह कानून के बल वाला कोई वैधानिक निर्देश नहीं है; प्रशिक्षक के पद के लिए चयन करने में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि जब तक कि नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा स्वयं निर्धारित नहीं किया जाता है; चयन एजेंसी को एक मानदंड अपनाने का पूरा अधिकार है-

इसके द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए, बशर्ते मानदंड तर्कसंगत, गैर-मनमाना हो और सभी पर समान रूप से लागू होने के लिए हो।वर्तमान मामले में सभी पर सामान रूप से लागू किया जाना हो पर्तिवादीओ द्वारा अपनाये गए मानदंड मौखिक परीक्षा के लिए किसे भी अंक को शामिल नहीं किया गया ।शैक्षिक योग्यता का महत्व उम्मीदवारों के पूरे शैक्षणिक कॅरियर में फैला हुआ हे।इस तरह के मानदंडों में कुछ भी गलत नहीं है, और न ही अपीलकर्ता का विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा मानदंडों की तर्कसंगतता या समान अनुप्रयोग पर दोष लगाने में समर्थ है।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे सही ठहराया गया है।भर्ती के लिए आवश्यक वर्षों के अनुभव की संख्या के संबंध में, इस बिंदु को पद को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों द्वारा भी ध्यान में रखा गया है।नियमों ने आवश्यक योग्यता के रूप में भर्ती के लिए वर्षों के अनुभव की विशेष संख्या निर्धारित की।प्रतिवादी ने रिट याचिका में विधिवत एक शपथ पत्र दायर किया था; स्पष्ट

रूप से कहा कि विज्ञापन सेवा नियमों के अनुसार सख्ती से जारी किया गया है और भर्ती उसी के अनुसार की जा रही है।भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी कोई भी सुझाव या दिशानिर्देश मार्गदर्शन या अनुनय की प्रकृति का हो सकता है।हालांकि, प्रतिवादी द्वारा वैधानिक नियमों को केवल महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी कुछ गैर-सांविधिक दिशानिर्देशों के आधार पर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह मुद्दा भी टिकाऊ नहीं है।

(13) जहाँ तक पदों के आरक्षण का संबंध है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस नियम पर भरोसा किया गया है, उस नियम के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक सक्षम प्रावधान है; नियुक्ति प्राधिकारी को इन नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान की परवाह किए बिना सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने की स्वतंत्रता देना।यह आरक्षण प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक जनादेश नहीं है।प्रतिवादी ने रिकॉर्ड में दिखाया है कि आरक्षण राज्य सरकार की नीति के तहत निर्धारित रोस्टर अंकों के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान के अनुसार, सामान्य श्रेणी में खिलाड़ियों के लिए रोस्टर बिंदु रोस्टर बिंदु संख्या 91 पर आता है, जबकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षक के पद के लिए नियुक्तियों की संख्या केवल 84 तक थी।इसलिए, सामान्य श्रेणी में खिलाड़ियों के लिए रोस्टर अंक नहीं आया था।अपीलकर्ता द्वारा इस दावे का किसी भी ठोस सामग्री द्वारा खंडन नहीं किया गया है।इसलिए, विवादित विज्ञापन में प्रतिवादी द्वारा आरक्षण की नीति को सही ढंग से लागू किया गया है।इसलिए, विद्वान एकल पीठ द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है जब विज्ञापन के लिए इसका प्रावधान नहीं किया जाता है तो यह पूरी तरह से उचित है।

(14) हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश की यह टिप्पणी कि संविदात्मक रोजगार के लिए विज्ञापन में कोई क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, टिकाऊ नहीं है।चूँकि संविदात्मक रोजगार भी एक सार्वजनिक रोजगार है और यह निश्चित रूप से लागू सेवा नियमों के अनुसार किया जा रहा है, इसलिए संविदात्मक रोजगार के मामले में भी आरक्षण लागू करने की आवश्यकता होगी।अन्यथा विज्ञापन स्वयं वर्तमान संविदात्मक भर्ती में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन टिकाऊ नहीं है।

(15) विचाराधीन विज्ञापन में सेवा नियमों के नियम 9 (3) के विशिष्ट उल्लंघन के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क भी टिकाऊ नहीं है। यह नियम यह आदेश नहीं देता के पदों को एक और डिग्री/डिप्लोमा धारको और दूसरी और राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र /राष्ट्रीय परशीशुकता प्रमाणपत्र धारको के बिच 50 :50 के अनुपात में वितरित किया जाना है ! बल्कि, यह नियम यह निर्धारित करता हे के जहाँ भी दोनों योग्यताये

आवश्यक योग्तया के रूप में निर्धारित की गई हे : वहां पर 50% तक नियुक्ति डिग्री या डिप्लोमा धारक व्यक्तिओ से की जानी हे ! नियम का जोर डिग्री/ डिप्लोमा धारको का पर्तिशत कम से कम 50% के स्तर पर बनाये रखने पर हे यह निर्धारित नहीं करता हे के 50% से अधिक डिग्री/ डिप्लोमा योग्तया रखने वाले व्यक्तिओ को भर्ती नहीं नहीं किया जी सकता !नियम डिग्री/डिप्लोमा धारको के लिए 50% संख्या बनाये रखने का प्रावधान करते हैं ने की राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र /राष्ट्रीय परशीशुकता प्रमाणपत्र धारको के लिए ! अतः इस स्थिति में 50% से अधिक व्यक्तिओ में से नियुक्त किये जाने पर कोई दोस नहीं पाया जा सकेगा।

(16) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अंतरिम आदेश पारित करते समय पीठ द्वारा की गई पिछली टिप्पणियों की अनदेखी के कारण विवादित निर्णय टिकाऊ नहीं है, कोई कानूनी महत्व नहीं रखता है।मामले के अंतिम निर्णय के स्तर पर, अंतरिम आदेश पारित करने के समय जारी की गई टिप्पणियां या निर्देश भी पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं।अतः, इस आधार पर विवादित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(17) रिट याचिका में या याचिकाकर्ता के खिलाफ रोक के संबंध में दलीलों और प्रार्थनाओं की अनुपस्थिति में के बारे में विद्वान एकल पीठ की शेष टिप्पणियां, हालांकि रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं हो सकती हैं, हालाँकि, ये टिप्पणियां मुद्दे के वास्तविक बिंदुओं के निर्णय के लिए सामग्री नहीं हैं।इसलिए, विद्वान अधिवक्ता की दलीलें

इन टिप्पणियों के संबंध में अपीलकर्ता के लिए वर्तमान अपील के निर्णय के लिए सख्ती से प्रासंगिक नहीं हैं।

(18) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, उसे खारिज कर दिया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

संजय कुमार
3G161I
ट्रांसलेटर